रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122022-241529 CG-DL-E-30122022-241529

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 818] No. 818] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

सं. 12/2022-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 916(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

- क. अनुसूची I में 2.5%, -
 - (i) क्रमांक 102क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"एथाइल अल्कोहल, जो की मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति किया गया हो";

8807 GI/2022 (1)

(ii) क्रमांक 103 (अ) के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा. यथा: -

"चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशशष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय फ़ीड समेत झींगा फ़ीड और झींगा फ़ीड, पोल्ट्री फ़ीड और पशु फ़ीड सहित घास, घास और पुआल, पूरक और योजक, चिल्का सहित दालों की भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र, गेहूं की भूसी, डी-ऑइल केक से भिन्न]";

- ख. अनुसूची II में 6%, -
 - (i) क्रमांक 48 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
 - "फलों के पल्प या फलों के रस आधारित पेय [फल रस का कार्बोनेटेड बिवरेज या फल रस युक्त कार्बोनेटेड बिवरेज के अलावा]";
 - (ii) क्रमांक 180 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -
 - "मैथमेटिकल बॉक्सेस, ज्योमेट्टी बॉक्सेस और कलर बॉक्सेस";
- ग. अनुसूची III में 9%, क्रमांक 25 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"िकसी भी सांद्रता के एथाइल अल्कोहल और अन्य स्पिरिट्स, डिनेचर्ड, [एथाइल अल्कोहल, जो की मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति किया गया हो से भिन्न]";

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी।

[फा सं. सीबीआईसी-190354/316/2022-टीआरयु सेक्शन-सीबीइसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-॥, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2022-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022 जिसे सा.का.िन. 550 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-॥, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2022

No. 12/2022-Central Tax (Rate)

G.S.R. 916(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and subsection (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28thJune, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (A) in Schedule I 2.5%, -
 - (i) against S. No. 102A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
 - "Ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or Petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)";
 - (ii) against S. No. 103A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, husk of pulses including chilka, concentrates including chuni or churi, khanda, wheat bran, de-oiled cake]";

- (B) in Schedule II -6%, -
 - (i) against S. No. 48, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:
 - "Fruit pulp or fruit juice based drinks [other than Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit Juice]";
 - (ii) against S. No. 180, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
 - "Mathematical boxes, geometry boxes and colour boxes";
- (C) in Schedule III -9%, against S. No. 25, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
 - "Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength [other than ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or Petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)]".
- 2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2023.

[F. No. CBIC-190354/316/2022-TRU Section-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E)., dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 06/2022 – Central Tax (Rate), dated the 13th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 550(E), dated the 13th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

सं. 12/2022-एकीकृत कर (दर)

सा.का.िन. 917(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I में - 5%, -